मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३२ सन् २०१९

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की प्रथम अनुसूची में,— **प्रथम अनुसूची का संशोधन.**

(एक) मद पांच माल यान में,—

(क) उप-मद (१) में, अंक "२८०००" के स्थान पर, अंक "१२०००" स्थापित किया जाए;

(ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) ऐसे माल यान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं और जिनकी क्षमता १२००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा:—

(क)	१२००० किलोग्राम से अधिक किन्तु १३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ३४०० प्रति तिमाही
(ख)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए ३५० प्रति तिमाही

स्पष्टीकरण.—कर की उपरोक्त दर १ अक्टूबर, २०१९ से प्रभावी समझी जाएगी.";

(दो) उप-मद (३) में, स्पष्टीकरण २ का लोप किया जाए;

(तीन) मद नौ अंतरण कर में, उप-मद (दो) में, खण्ड (३) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(३) माल यान

(क)	पंजीयन की तारीख से ५ वर्ष तक के पुराने यान.	सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये ५००.
(ख)	पंजीयन की तारीख से ५ वर्ष से अधिक परन्तु ८ वर्ष से कम पुराने यान.	सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये ३००.
(ग)	पंजीयन की तारीख से ८ वर्ष से अधिक पुराने यान.	सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये २००.".

३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, मद ७ में, टिप्पणी में, अंक "२८०००" के स्थान पर, अंक "१२०००" स्थापित किए जाएं. **द्वितीय अनुसूची का संशोधन.**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मोटरयान कर को युक्तिसंगत करने के उद्देश्य से, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) की प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १५ दिसम्बर, २०१९.

गोविन्द सिंह राजपूत
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम १९९१ (क्र. २५ सन् १९९१) से उद्दरण

*　　　*　　　*　　　*

प्रथम अनुसूची
{धारा ३ की उपधारा (१) देखियें}

(पांच) मालयान:—

१. ऐसे मालयान पर १ अक्टूबर २०१४ के प्रारम्भ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत था और जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार २८००० किलोग्राम या कम है, कर, द्वितीय अनुसूची की मद ७ के अनुसार होगा.

२. ऐसे मालयान पर कर, जो १ अक्टूबर २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत है और जिनकी क्षमता २८००० किलोग्राम से अधिक है, निम्नानुसार होगा:—

(क)	२८००० किलोग्राम से अधिक किन्तु २९००० किलोग्राम से अधिक नहीं है	रुपये ९००० प्रति तिमाही
(ख)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये	रुपये ३५० प्रति तिमाही

स्पष्टीकरण:—कर प्रति तिमाही/जीवनकाल मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रारम्भ होने के पश्चात् आगामी तिमाही के प्रथम दिन से संदेश होगा.

३. अन्य राज्यों में पंजीकृत मालयान जिसका लदान भार:—

(क)	५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है	रुपये ५०० प्रति मास
(ख)	५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है	रुपये ६०० प्रति मास
(ग)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये	रुपये १०० प्रति मास

स्पष्टीकरण १:—अन्य राज्यों के मालयानों के सम्बंध में जो उस राज्य द्वारा जारी किये गये और मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र के तहत चलाये जा रहे हैं, कर का भुगतान ऊपर खण्ड (३) में विनिर्दिष्ट दर के ८५ प्रतिशत की दर से किया जावेगा.

स्पष्टीकरण २:—अन्य राज्यों के मालयानों के सम्बंध में जो एक मास से अनअधिक की कालावधि के अस्थाई अनुज्ञापत्र के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में चलाये जा रहे हैं, कर की दर ऊपर खण्ड (३) में विनिर्दिष्ट प्रतिवर्ष देय कर का १/१२ भाग होगी.

*　　　*　　　*　　　*

(नौ) अन्तरण कर:—

स्वामित्व के अन्तरण के समय, निम्नलिखित अंतरण कर देय होगा:—

(एक)	गैर परिवहन यान	परिवहन के समय संदत्त कुल जीवनकाल कर का २० प्रतिशत.
(दो)	परिवहन यान	
१	मोटर साईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले यान	पंजीयन के समय संदत्त कुल जीवनकाल कर का १० प्रतिशत
२	बैठक क्षमता १३+१ एवं ऊपर के सभी यात्रीयान	यान की पंजीकृत क्षमता पर रुपये २०० प्रति सीट
३	मालयान	यान के सकलयान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उनके भाग के लिये रुपये ५००
४	ऐसे यान जो इस अनुसूची के किसी वर्ग में उल्लेखित न हो.	यान के लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपये १५००

स्पष्टीकरण:—स्वामी की मृत्यु के कारण यान के अंतरण की दशा में, मोटरयान अधिनियम १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ५० की उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन लोक निलामी के माध्यम से सरकार द्वारा अंतरण या ऐसे यान जो धारा ११ एवं १२ के उपबंधों के अधीन कर से छूट प्राप्त है, इस अनुसूची में यथा उल्लेखित अतिरिक्त कर ऐसे यानों के लिये देय नहीं होगा.

* * * *

द्वितीय अनुसूची

{धारा ३ की उपधारा (१) देखिये}

७. ऐसे मालयान जो १ अक्टूबर २०१४ के प्रारम्भ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत है, जीवनकाल कर दी दर निम्नानुसार होगी:—

(क)	१ अक्टूबर २०१४ के प्रारम्भ होने की तारीख को तीन वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.	सकलयान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपये ३५००
(ख)	१ अक्टूबर २०१४ के प्रारम्भ होने की तारीख को तीन वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.	सकलयान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपये २५००

टिप्पणी:—परन्तु ऐसे मालयान जिनका लदान भार २८००० किलोग्राम से अधिक हो, यान के स्वामी के पास प्रथम अनुसूची की मद पॉच की उप मद (२) में यथाविनिर्दिष्ट कर के भुगतान के लिये विकल्प होगा.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.